



राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक: एफ9(4)छात्रवृत्ति/मार्गदर्शन/सान्याअवि/22-23/00003/6670

जयपुर,दिनांक: 31.08.2023

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) - 2023

राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं यथा : अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अति (विशेष) पिछड़ा वर्ग (MBC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC- Dr. Ambedkar Post-Matric Scholarship for the Economically Backward Class Students - Centrally Sponsored Scheme), विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जाति (DNTs- Dr. Ambedkar Post-Matric Scholarship for the students of Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes - Centrally Sponsored Scheme), मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना (Mukhyamantri Sarvjan Uchcha Shiksha Chhatravriti Yojna for students of IITs, IIMs and Other National Level Institutions), मिरासी (मिरासी, ढाढी, मीर, मांगनियार, दमामी, नगारची, लंगा, राणा) एवं भिश्ती समुदाय में छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए वर्ष 2023-24 से राज्य में संचालित राजकीय, स्वायत्तशासी एवं निजी मान्यता/संबद्धता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर संचालित केवल राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा केवल पेपरलेस (Paperless) ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने, ऑन लाईन प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालयों/बोर्ड, शैक्षणिक संस्थाओं, विद्यार्थियों तथा विभागीय अधिकारियों के लिए निम्नानुसार मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाती है।

संक्षिप्त नाम एवं प्रभावित क्षेत्र :-

- i. यह प्रक्रिया उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया-2023 कहलायेगी।
- ii. यह प्रक्रिया सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में इसके जारी होने के दिनांक से प्रभावी होगी।
- iii. यह प्रक्रिया वर्ष 2023-24 से प्रभावी होगी।
- iv. यह प्रक्रिया केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत जारी मूल दिशा-निर्देशों के अध्ययन होगी।

Signature valid

Digitally signed by Sarmit Sharma
Designation: Secretary To
Government
Date: 2023.08.31 15:47:18 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4629092



परिभाषाएँ :-

- i. राज्य सरकार, से तात्पर्य राजस्थान सरकार है।
- ii. विभाग, से तात्पर्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार है।
- iii. प्रमुख शासन सचिव, से तात्पर्य अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान से है।
- iv. आयुक्त/निदेशक, से तात्पर्य आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान से है।
- v. विद्यार्थी से तात्पर्य, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जाति), मिरासी (मिरासी, ढाढी, मीर, मांगनियार, दमामी, नगारची, लंगा, राणा) एवं भिश्ती समुदाय के विद्यार्थियों से है।
- vi. मूल निवासी से तात्पर्य सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र धारक विद्यार्थी से है।
- vii. जिला स्तरीय अधिकारी/स्वीकृतकर्ता अधिकारी से तात्पर्य जिले में पदस्थापित संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से है।

1. वेब पोर्टल/मोबाईल एप: शिक्षण संस्थाओं के पंजीयन व विद्यार्थियों के आवेदन हेतु
(Web Portal / Mobile App for Registration of Institutes and Online
application by Students.)

विश्वविद्यालय/बोर्ड/शिक्षण संस्थान/काउन्सिल/संस्थायें छात्रवृत्ति पोर्टल पर स्वयं का पंजीयन एवं पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति हेतु स्वयं का आवेदन वेब पोर्टल <https://sso.rajasthan.gov.in> पर जाकर SCHOLARSHIP SJE एप अथवा वेबसाइट <https://sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship> अथवा मोबाईल एप SJE APPLICATIONS के माध्यम से कर सकेंगे।

Signature valid

Digitally signed by Sarmit Sharma
Designation: Secretary To
Government
Date: 2023.08.31 15:47:18 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4629092



2. विश्वविद्यालय एवं उनसे संबद्ध संस्थाओं की मान्यता, संचालित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रमवार स्वीकृत सीटों का अनुमोदन करने की प्रक्रिया
Procedure for approval of universities and affiliated colleges, their courses and coursewise seats

- 2.1 राजकीय/निजी/डीम्ड/केन्द्रीय विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं द्वारा उक्त पोर्टल पर प्रतिवर्ष ऑनलाइन पंजीयन किया जावेगा। पंजीयन हेतु समस्त विवरण का इन्द्राज कर पोर्टल पर चाहे गये समस्त दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड किये जायेंगे।
- 2.2 छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत विश्वविद्यालयों की एसएसओ आई डी यूनिक रहेगी जो कि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के आधार से लिंक होगी। इस हेतु विश्वविद्यालयों द्वारा केवल AISHE Code के माध्यम से ही प्रतिवर्ष ऑनलाइन पंजीयन किया जावेगा।
- 2.3 सम्बन्धित विभाग द्वारा उक्त प्रस्तावों का परीक्षण कर योजनान्तर्गत निर्धारित पात्रतानुसार छात्रवृत्ति पोर्टल पर विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्थाओं को सूचीबद्ध किया जावेगा।
- 2.4 निजी/डीम्ड/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं द्वारा स्वयं को शिक्षण संस्थान के रूप में पंजीकृत किये गये प्रस्ताव का ऑनलाईन सत्यापन पोर्टल पर किया जावेगा तथा प्रतिवर्ष नवीन सत्र के बैच की मान्यता सत्यापन हेतु पंजीयन नवीनीकरण किया जावेगा।
- 2.5 विश्वविद्यालय के प्रकरणों में नोडल अधिकारी के बदलने की स्थिति में उनकी एस.एस.ओ. आईडी मैप करने का क्षेत्राधिकार राज्य स्तर पर पदस्थापित छात्रवृत्ति प्रभारी अधिकारी/नोडल अधिकारी को होगा, जिस हेतु प्रमाणिक दस्तावेज विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार/संस्था प्रधान द्वारा निदेशालय को प्रेषित किया जावेगा।

Signature valid

Digitally signed by Sarmit Sharma
Designation: Secretary To
Government
Date: 2023.08.31 15:47:18 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4629092



3. शिक्षण संस्थाओं की मान्यता, संचालित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रमवार स्वीकृत सीटों का अनुमोदन करने की प्रक्रिया
Process for approval of affiliation, courses and coursewise seats of institutions.

- 3.1 राजकीय/निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा उक्त पोर्टल पर शिक्षण संस्थान के रूप में स्वयं का ऑनलाइन पंजीयन किया जावेगा तथा प्रतिवर्ष नवीन सत्र के बैच की मान्यता सत्यापन हेतु पंजीयन नवीनीकरण करना अनिवार्य होगा।
- 3.2 शिक्षण संस्थानों के प्रकरणों में नोडल अधिकारी के बदलने की स्थिति में उनकी एस.एस.ओ. आईडी मैप करने का क्षेत्राधिकार उस जिले के विभागीय जिला स्तरीय अधिकारी का होगा, जिस जिले में संस्थान संचालित हैं। मैपिंग हेतु प्रमाणिक दस्तावेज संस्था प्रधान द्वारा संबंधित जिला कार्यालय को प्रेषित किया जावेगा। जिन्हें मैपिंग के दौरान संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जावेगा।
- 3.3 छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत संस्थानों की एसएसओ आई डी यूनिक रहेगी जो कि संस्था प्रभारी के आधार से लिंक होगी। इस हेतु शिक्षण संस्थान द्वारा केवल AISHE Code के माध्यम से ही ऑनलाइन पंजीयन किया जावेगा।
- 3.4 पूर्व में पंजीकृत संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर संस्था की प्रोफाइल में प्रतिवर्ष AISHE Code के माध्यम से ही अद्यतन किया जावेगा।
- 3.5 छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड/ब्लैकलिस्टेड संस्थान द्वारा अपने नाम अथवा पते में किसी भी प्रकार का फेरबदल कर अनाधिकृत रूप से पोर्टल पर पुनः पंजीयन करने अथवा एक ही संस्थान द्वारा मल्टीपल नामों से पोर्टल पर पंजीयन करवाने जैसी अनियमितताओं की रोकथाम हेतु पोर्टल पर पुरानी एवं नवीन प्रत्येक संस्थान द्वारा सक्षम स्तर से उन्हें जारी किये गये यूनिक कोड/AISHE CODE (ALL INDIA SURVEY ON HIGHER EDUCATION) को अंकित करना अनिवार्य होगा।

Signature valid

Digitally signed by Sarmit Sharma
Designation: Secretary To
Government
Date: 2023.08.31 15:47:18 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4629092



- 3.6 शिक्षण संस्था का पंजीयन हेतु समस्त विवरण AISHE पोर्टल से ही मैटा डाटा के माध्यम प्राप्त किया जावेगा तथा शेष विवरण का इन्द्राज करते हुए पोर्टल पर चाहे गये समस्त दस्तावेज शिक्षण संस्थान द्वारा अपलोड किये जावेंगे।
- 3.7 जिन शिक्षण संस्थानों को शिक्षा मंत्रालय द्वारा यूनिफ कोड/AISHE CODE कोड जारी नहीं किया जाता है उनके द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम ऐजेंसी द्वारा जारी किये गये कोड को अपडेट/प्रविष्ट किया जाना अनिवार्य होगा।
- 3.8 भारत सरकार की गाइडलाइन की पालना में छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के द्वारा सत्र 2023-24 की समाप्ति से पूर्व NAAC (National Assessment Accreditation Council) / NBA (National Board of Accreditation) से मान्यता/संबद्धता लिया जाना अनिवार्य होगा, ताकि उनमें अध्ययनरत विद्यार्थी सत्र 2025-26 तथा उसके उपरान्त भी उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ ले सकेंगे। उक्त संबंध में संबंधित उच्च शिक्षण संस्थानों को अलर्ट हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवश्यक पॉप-अप उपलब्ध करावाया जायेगा।
- 3.9 संस्थान के स्तर पर छात्रवृत्ति कार्य सम्पादन हेतु छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी की नियुक्ति संस्था द्वारा की जावेगी जिसका आधार सहित अन्य विवरण भी पोर्टल पर पंजीयन के समय इन्द्राज किया जावेगा।
- 3.10 **शुल्क संरचना (Fee Structure Master) :-** शिक्षण संस्थान पोर्टल पर प्रदर्शित शुल्क संरचना पेज पर अंकित 8 मद यथा 1. पंजीकरण शुल्क (Registration Fee), 2. नामांकन शुल्क (Enrollment Fee), 3. शिक्षण शुल्क (Tuition Fee), 4. खेल-कूद शुल्क (Games/Sports Fee), 5. संगठन (यूनियन) शुल्क (Union Fee), 6. पुस्तकालय शुल्क (Library Fee), 7. पत्रिका शुल्क (Magazine Fee), 8. परीक्षा शुल्क (Examination Fee) का विवरण अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे। जिसके अनुसार ही उस पाठ्यक्रम के

Signature valid

Digitally signed by Sarmit Sharma
Designation: Secretary To
Government
Date: 2023.08.31 15:47:18 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4629092



समस्त विद्यार्थियों को योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति देय होगी। अतः शैक्षणिक संस्थान इन आठ मद को सावधानी से पोर्टल पर अंकित करें। फीस की मदों का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में केवल अनुरक्षण भत्ता ही देय होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित शिक्षण संस्थान के संस्था प्रधान की होगी। इस स्थिति में अन्य देय फीसों का पुनर्भरण संभव नहीं होगा।

- 3.1.1 उक्त आठ मदों में शिक्षण संस्थान द्वारा अंकित की गयी राशि के विरुद्ध योजनान्तर्गत निर्धारित अधिकतम राशि/विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम राशि में से जो भी न्यूनतम हो, वही राशि देय होगी।
- 3.1.2 संस्थान में छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी के परिवर्तित होने की स्थिति में छात्रवृत्ति प्रोफाइल में भी विवरण अद्यतन किया जावेगा।
- 3.1.3 शिक्षण संस्थान के आधारभूत विवरण के साथ ही संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल एवं मान्यता/सम्बद्धता में उल्लेखित समस्त पाठ्यक्रमों का छात्रवृत्ति पोर्टल के डेटा-बेस से चयन कर पाठ्यक्रम वार स्वीकृत क्षमता का इन्द्राज कर वांछित दस्तावेज अपलोड कर संबंधित विश्वविद्यालय को ऑनलाईन अग्रेषित किया जावेगा जिसका संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा गहनता से परीक्षण कर अनुमोदन किया जावेगा।
- 3.1.4 विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की मान्यता/सम्बद्धता एवं पाठ्यक्रमों का छात्रवृत्ति पोर्टल पर सत्यापन किये जाने के पश्चात ही विद्यार्थियों को सम्बन्धित सत्र में ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु पोर्टल पर शिक्षण संस्थान का नाम प्रदर्शित होगा।
- 3.1.5 शिक्षण संस्थान के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी के परिवर्तित होने की स्थिति में शिक्षण संस्थान जिस जिले में संचालित है उस जिले का जिला स्तरीय अधिकारी, सान्याअवि द्वारा संस्थान की एसएसओ आईडी परिवर्तित की जावेगी। जिसका पुराना व अद्यतन किया गया विवरण ऑडिट ट्रेल में प्रदर्शित होगा।

Signature valid

Digitally signed by Sarmit Sharma
Designation: Secretary To
Government
Date: 2023.08.31 15:47:18 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4629092



- 3.16 राजस्थान राज्य से बाहर संचालित शिक्षण संस्थान के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी के परिवर्तित होने की स्थिति में शिक्षण संस्थान की एसएसओ आईडी निदेशालय स्तर के छात्रवृत्ति प्रभारी द्वारा परिवर्तित की जावेगी। जिसका पुराना व अद्यतन किया गया विवरण ऑडिट ट्रेल में प्रदर्शित होगा।

4 विद्यार्थियों के लिए ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया

Procedure for Online Application by Students

- 4.1 विद्यार्थियों द्वारा सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र में छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा निर्धारित अवधि में ही ऑनलाईन आवेदन किया जावेगा।
- 4.2 विद्यार्थी द्वारा केवल स्वयं की आधार लिंकड एसएसओ आईडी/ई-मित्र/मोबाईल के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। आवेदन विद्यार्थी का आधार वेस्ट बायोमैट्रिक आयेन्टिकेशन के आधार पर ही होगा।
- 4.3 विद्यार्थी द्वारा अपने छात्रवृत्ति आवेदन हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर परिवार की जनाधार संख्या सबमिट करने के फलस्वरूप प्रदर्शित सदस्यों में से स्वयं का चयन किये जाने के उपरान्त विद्यार्थी का डाटा (आवेदक का नाम एवं आधार संख्या, पिता/पति का नाम मय आधार संख्या, जाति/वर्ग, पारिवारिक विवरण, आर्थिक स्थिति, बैंक खाता, मूलनिवास इत्यादि) जनाधार से स्वतः प्राप्त किया जावेगा।
- 4.4 विद्यार्थी की बायोमैट्रिक (फिंगर प्रिंट/फेस रिकग्निशन/ आइरिश स्कैनिंग) पहचान सुनिश्चित होने के बाद ही छात्रवृत्ति आवेदन सबमिट किया जा सकेगा अथवा विभागीय छात्रवृत्ति मोबाइल एप पर फेस रिकग्निशन के माध्यम से भी विद्यार्थी छात्रवृत्ति आवेदन कर सकेगा।
- 4.5 विद्यार्थी जिस सत्र में अध्ययनरत है उसी सत्र में वह पोर्टल पर आवेदन कर सकेगा। यथा सत्र 2023-24 में आवेदन करने के लिये विद्यार्थी का सत्र 2023-24 में ही सम्बन्धित कक्षा में अध्ययनरत होना आवश्यक होगा।

Signature valid

Digitally signed by Sarmit Sharma
Designation: Secretary To
Government
Date: 2023.08.31 15:47:18 IST
Reason: Approved



- 4.6 नवीन सत्र 2023-24 से पोर्टल पर एक शैक्षणिक सत्र में केवल एक ही आवेदन किया जा सकेगा।
- 4.7 छात्रवृत्ति आवेदन में विद्यार्थी द्वारा कोई भी आक्षेप पूर्ति स्वयं विद्यार्थी के बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन के उपरांत ही संभव होगी।
- 4.8 पोर्टल पर जिस एसएसओ आईडी के माध्यम से विद्यार्थी द्वारा आवेदन किया जावे उस एसएसओ आईडी में अनिवार्य रूप से संबंधित विद्यार्थी का अनिवार्य रूप से आधार नंबर लिंकड हो जिसकी प्रमाणिकता एवं यूनिकनेस छात्रवृत्ति पोर्टल द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।
- 4.9 छात्रवृत्ति पोर्टल पर छात्रवृत्ति आवेदन में जनाधार का केवल वेरिफाइड डेटा ही एपीआई के माध्यम से फैंच किया जावेगा।
- 4.10 छात्रवृत्ति आवेदन में स्वयं विद्यार्थी एवं उसके माता, पिता/पति का आधार नंबर तथा यदि विद्यार्थी के माता-पिता एवं पति का पैन(परमानेन्ट अकाउंट नंबर) कार्ड बना हुआ है तो उसका नंबर अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति आवेदन भरवाया जावेगा।
- 4.11 जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र का प्रमाणिक मास्टर डाटा एपीआई के माध्यम से फैंच किया जावेगा। जिसमें जाति प्रमाण पत्र के मेटाडाटा में टोकन नम्बर, सर्टिफिकेट सीरियल नम्बर, कास्ट कैटेगरी एवं जारीकर्ता कार्यालय का विवरण प्रदर्शित होगा। मूल निवास प्रमाण पत्र के मेटाडाटा में टोकन नम्बर, सर्टिफिकेट सीरियल नम्बर, तहसील एवं जारीकर्ता कार्यालय का विवरण प्रदर्शित होगा।
- 4.12 पोर्टल पर पहली बार पंजीयन के समय जनरेट हुई आवेदक की प्रोफाइल आई डी हमेशा के लिये एक ही रहेगी तथा उस आवेदक की छात्रवृत्ति एप्लीकेशन आई डी सम्बन्धित सत्र के लिए अद्वितीय (यूनिक) होगी।

Signature valid

Digitally signed by Sarmit Sharma
Designation: Secretary To
Government
Date: 2023.08.31 15:47:18 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4629092



- 4.13 यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा पूर्व सत्रों के छात्रवृत्ति आवेदनों में भरी गई जाति श्रेणी से भिन्न जाति श्रेणी जनाधार डाटा से प्राप्त होती है तो ऐसे आवेदन पोर्टल पर सबमिट नहीं हो सकेंगे।
- 4.14 आवेदक का आधार सीडेड/लिंक्ड बैंक खाता, आधार कार्ड, जनाधार मेम्बर आई डी, चालू मोबाईल नं., ई-मेल आई डी का विवरण प्रत्येक आवेदन के लिए यूनिक होगा। उक्त सूचनाओं के दोहराव वाले आवेदन पोर्टल पर सबमिट नहीं हो सकेंगे।
- 4.11 छात्रवृत्ति राशि केवल संबंधित विद्यार्थी के बैंक खाते में ही डीबीटी की जावेगी।
- 4.12 विद्यार्थी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा कि उसके बैंक खाते की स्थिति निम्न प्रकार है:-
- विद्यार्थी का बैंक खाता आधार बेस्ड अकाउण्ट ही हो।
 - छात्रवृत्ति आवेदन में उल्लेखित खाता बैंकिंग नियमों के अनुसार केवाई. सी. (KYC) पूर्ण किया हो।
 - छात्र के खाते में लेन-देन भी बैंक द्वारा निर्धारित समय-अन्तराल में हो एवं छात्र को प्राप्त होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति की कुल धनराशि छात्र के खाते में ऑनलाईन ट्रांसफर के लिए कोई ऐसी सीमा (LIMIT) निर्धारित न हो जिससे कि धनराशि अन्तरण सम्भव न हो पाये।
 - बैंक खाता बन्द न हो अर्थात बैंकिंग नियमों के अनुसार उस खाते में न्यूनतम धरोहर राशि छात्रवृत्ति भुगतान के समय उपलब्ध हो।
 - यदि बैंक खाता माईनर है एवं छात्रवृत्ति राशि 25000 रुपये से ज्यादा है, तो आवेदक बैंक को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने माइजर खाते को वयस्क खाते में परिवर्तित करावें।
- 4.13 राजस्थान/ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा 10वीं, 12वीं की मार्कशीट का मैट्र डाटा डिजी लॉकर/राज ई वॉल्ट के

Signature valid

Digitally signed by Sarmit Sharma
Designation: Secretary To
Government
Date: 2023.08.31 15:47:18 IST
Reason: Approved



माध्यम से छात्रवृत्ति आवेदन में प्रदर्शित होने के उपरांत ही छात्रवृत्ति आवेदन सबमिट किया जावेगा साथ ही उक्त दस्तावेज अपलोड भी किया जावेगा।

- 4.14 अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के मामलों में अंकतालिका अपलोड किये जाने का ऑप्शन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। 10 वीं एवं 12 वीं की अंक-तालिका, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र आदि का ऑटो वेरिफिकेशन एपीआई से प्राप्त मेटा डाटा के माध्यम से पोर्टल द्वारा किया जाएगा, तत्पश्चात शिक्षण संस्थान, वेरिफायर एवं विभागीय जिलाधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन में अपलोड सभी दस्तावेजों के आधार पर मैनुअल वेरिफिकेशन किया जाएगा।
- 4.15 छात्रवृत्ति आवेदन को एक बार सबमिट कर दिए जाने के पश्चात् विद्यार्थी द्वारा चयन की गई शिक्षण संस्थान में कोई भी परिवर्तन किया जाना अनुमत नहीं होगा। उक्त संबंध में छात्रवृत्ति आवेदन करने के दौरान ही विद्यार्थी को पोर्टल पर यह रेड अलर्ट प्रदर्शित किया जावेगा कि-“कृपया आप सही शिक्षण संस्थान का चयन करें, अन्यथा, आवेदन सबमिट हो जाने के उपरांत आपके द्वारा संस्थान के नाम में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं होगा।”
- 4.16 विद्यार्थी जिस संस्थान में अध्ययनरत् है उस संस्थान में प्रति माह आधार वेस्ट्र बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने के बाद ही उस विद्यार्थी का छात्रवृत्ति आवेदन संस्था की ओर से जिला कार्यालय को अद्योषित हो सकेगा। छात्रवृत्ति आवेदन की प्राप्ति से उस आवेदन की स्वीकृति तक अथवा सम्बन्धित सत्र पूर्ण होने तक विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक माह संस्थान में आधार वेस्ट्र न्यूनतम एक बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करेगा।
- 4.17 जिन छात्रवृत्ति योजनाओं में फ्री-शिप कार्ड का प्रावधान है उनमें आवेदक द्वारा प्रथम वर्ष के लिए फ्री-शिप कार्ड विकल्प के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

Signature valid

Digitally signed by Sarmit Sharma
Designation: Secretary To
Government
Date: 2023.08.31 15:47:18 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4629092



4.18 **फ्री-शिप कार्ड-** छात्रवृत्ति दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित मांपदण्ड पूर्ण करने वाला प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षण संस्थान में शिक्षण शुल्क एवं छात्रावास फीस का बिना पूर्व भुगतान किये ही प्रवेश के लिये पात्र होगा। इस हेतु पात्र विद्यार्थी के लिए एक फ्री-शिप कार्ड जारी किया जावेगा जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

पण विद्यार्थी द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर फ्री-शिप कार्ड हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जावेगा।

ii. सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम एवं शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु ही आवेदन किया जा सकेगा जिन्हें अधिकृत बोर्ड/विश्वविद्यालय/काउंसिल द्वारा पोर्टल पर ऑनलाईन प्रमाणित किया गया हो।

iii. विद्यार्थी की पात्रता सिद्ध करने वाले समस्त दस्तावेज यथा- जाति, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेज आदि को जारीकर्ता एजेन्सी के डिजिटल डेटा-बेस के आधार पर ऑनलाईन वैब-सर्विस के माध्यम से स्वतः सत्यापित किया जावेगा।

पअण उक्तानुसार पात्रता की स्थिति में पोर्टल द्वारा स्वतः ही फ्री-शिप कार्ड जारी किया जावेगा जिसको विद्यार्थी द्वारा डाउनलोड किया जा सकेगा।

अण फ्री-शिप कार्ड जारी हो जाने के पश्चात फ्री-शिप कार्ड का विवरण शिक्षण संस्थान को भी प्रदर्शित होगा जो शिक्षण संस्थान द्वारा स्वीकार किये जाने पर स्वतः छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में परिवर्तित हो जायेगा। फ्री-शिप कार्ड के मामलों में फीस रसीद आवश्यकता नहीं होगी।

vi. फ्री-शिप कार्ड के आधार पर जारी छात्रवृत्ति का भुगतान विद्यार्थी के बैंक खाते में किया जावेगा, जिसे विद्यार्थी द्वारा 7 दिवस में ही शिक्षण संस्थान को भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।

Signature valid

Digitally signed by Sarmit Sharma
Designation: Secretary To
Government
Date: 2023.08.31 15:47:18 IST
Reason: Approved



- 4.19 यदि किसी विद्यार्थी द्वारा मिथ्या तथ्य, कूटचित दस्तावेज प्रस्तुत कर अपात्र होते हुए छात्रवृत्ति आवेदन कर छात्रवृत्ति प्राप्त करने के प्रयास किये जाते हैं तो संबंधित जिलास्तरीय अधिकारी द्वारा संबंधित विद्यार्थी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही (एफ.आई.आर.) तथा छात्रवृत्ति राशि की वसूली की जायेगी। साथ ही ऐसे प्रकरणों में अपात्र विद्यार्थी को भविष्य के लिये छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करने से हमेशा के लिये डिबार/ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा। उक्त के संबंध में छात्रवृत्ति पोर्टल पर पॉप-अप विद्यार्थी को छात्रवृत्ति आवेदन के दौरान प्रदर्शित होगा।
- 4.20 भारत सरकार की गाइडलाइन की अनुपालना में ऐसे विद्यार्थी जिनका चयन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मैरिट मापदंडों की पालना किये बगैर ही संस्थान द्वारा आरबिट्ररी एवं अपारदर्शी तरीके (मैनेजमेंट कोटा, एन.आर.आई. कोटा, स्पोर्ट एडमिशन इत्यादि सहित) से किया गया हो उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति हेतु पात्र नहीं माना जायेगा। उक्त संबंध में छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के दौरान ही विद्यार्थी से चैकबॉक्स अंकित करवाया जायेगा।

5 शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया

Application verification process at the level of educational

- 5.1 विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन में भरे गये समस्त डाटा एवं अपलोड दस्तावेजों का सत्यापन सम्बन्धित संस्थान के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी द्वारा किया जावेगा। उक्त की पुष्टि हेतु छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी द्वारा उसके आधार लिंकड मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से स्वयं की उद्घोषणा पोर्टल पर विभाग को प्रस्तुत की जायेगी। उक्त कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात ही संस्था की ओर से छात्रवृत्ति आवेदन सत्यापित होकर अग्रेषित किया जायेगा।

Signature valid

Digitally signed by Sarmit Sharma
Designation: Secretary To
Government
Date: 2023.08.31 15:47:18 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4629092



- 5.2 संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदनों को गुणावगुण के आधार पर आक्षेपित (बैंक-टू -स्टूडेंट)/सत्यापित/निरस्त किया जा सकेगा।
- 5.3 संस्थान के स्तर पर अधिकतम 30 दिवस के भीतर छात्रवृत्ति आवेदन का नियमानुसार निस्तारण करना होगा।
- 5.4 संस्था की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली उद्घोषणा - “इस संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन के समस्त डेटा एवं अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों एवं विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु अपेक्षित पात्रता का भली-भांति जांच कर सत्यापन कर लिया गया है एवं सत्यापित की गई सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संस्थान विधिक एवं अन्य समस्त प्रकार से उत्तरदायी होगी।”
- 5.5 सत्र 2023-24 से उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत पोर्टल पर छात्रवृत्ति आवेदनों के स्वतः अनुमोदन (ओटो अप्रुवल) को संशोधित कर यह प्रावधान किया जाता है कि छात्रवृत्ति के समस्त आवेदनों में 10 वीं एवं 12 वीं की अंक-तालिका, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र आदि का ऑटो वेरिफिकेशन एपीआई से प्राप्त मेटा डाटा के माध्यम से पोर्टल द्वारा किया जाएगा, तत्पश्चात शिक्षण संस्थान, वेरिफायर एवं विभागीय जिलाधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन में अपलोड सभी दस्तावेजों के आधार पर मैनुअल वेरिफिकेशन किया जाएगा। इस दोहरी सत्यापन पद्धति से दस्तावेजों में संभावित किसी भी एडिटिंग, फॉरजरी एवं मॉर्फिंग पर रोकथाम लग सकेगी।
- 5.6 शिक्षण संस्थानों के स्तर पर आवेदन पत्रों की जांच एवं सत्यापन में पहले आओ, पहले पाओ की व्यवस्था (FIFO- FIRST IN FIRST OUT SYSTEM) का प्रावधान किया जाता है।
- 5.7 सत्र 2023-24 से पूर्व वाले लंबित छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकतालिकाओं के ऑनलाइन सत्यापन हेतु वेरिफायर को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेरिफिकेशन लिंक छात्रवृत्ति पोर्टल

Signature valid

Digitally signed by Sarmit Sharma
Designation: Secretary To
Government
Date: 2023.08.31 15:47:18 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4629092



पर उपलब्ध करवाई जावेगी तथा मार्कशीट को वरिफाई कर लिए जाने की पुष्टि हेतु वेरिफायर के स्तर पर चेक बॉक्स प्रदर्शित किया जावेगा।

- 5.8 छात्रवृत्ति आवेदन के गुण-दोष एवं विद्यार्थी की संस्थान में नियमित उपस्थिति के आधार पर संस्थान द्वारा आवेदन अग्रेषित/आक्षेपित(बैंक टू सिटीजन)/निरस्त किया जा सकेगा।
- 5.9 संस्थान की ओर से अधिकृत छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी की आई.डी. को उस जिले के जिलास्तरीय अधिकारी द्वारा मैप किया जायेगा जहां संस्थान संचालित है। विश्वविद्यालय के प्रकरणों में नोडल अधिकारी की आई.डी. को निदेशालय स्तर पर स्टेट एडमिन द्वारा मैप किया जायेगा। उक्त मैपिंग के समय संबंधित संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाणित दस्तावेजों मय छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी के रूप में अधिकृत व्यक्ति का आधार एवं मोबाईल नम्बर की सूचना छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।
- 5.10 छात्रवृत्ति पोर्टल पर संस्थान के नोडल अधिकारी द्वारा लॉगिन करते समय उसकी बायोमैट्रिक पहचान (फिंगर प्रिंट/फेस रिकग्निशन/ आइरिश स्कैनिंग) सुनिश्चित किये जाने का प्रावधान पोर्टल पर किया जायेगा।
- 5.11 छात्रवृत्ति आवेदन की प्राप्ति से स्वीकृति तक अथवा सत्र पूर्ण होने तक, में से जो भी पहले हो के दौरान संस्थान द्वारा प्रत्येक माह में सम्बन्धित विद्यार्थी की न्यूनतम एक उपस्थिति आधार वेबड ऑनलाईन बायोमैट्रिक मशीन के जरिये सुनिश्चित की जायेगी, जिसे छात्रवृत्ति पोर्टल से रियल टाइम इंटरलिंग किया जायेगा।
- 5.12 शिक्षण संस्थान के स्तर पर विद्यार्थी की आधार वेबड रियलटाइम बायोमैट्रिक उपस्थिति हेतु इंस्टिट्यूट को विभाग द्वारा केवल एक ही आई. पी. एड्रेस अनुमत किया जावेगा। परन्तु, किसी संस्थान में 500 से अधिक छात्रवृत्ति आवेदक होने की स्थिति में प्रति 500 आवेदकों के गुणक के रूप में एक से अधिक आई पी निदेशालय द्वारा अनुमत की जा सकेगी।

Signature valid

Digitally signed by Sarmit Sharma
Designation: Secretary To
Government
Date: 2023.08.31 15:47:18 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4629092



- 5.13** संबंधित शैक्षणिक सत्र में 75 प्रतिशत या उससे अधिक उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य होगी। उक्त उपस्थिति आधार बैस्ड उपस्थिति प्रणाली (भौतिक रूप से कक्षाओं के संचालन होने पर) को स्थापित करके प्रत्येक माह उपस्थिति प्रमाणित करने एवं यथा स्थान छात्रवृत्ति पोर्टल पर उसे अपलोड करने का उत्तरदायित्व संस्था का होगा।
- 5.14** इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली एवं वर्द्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय कोटा द्वारा संचालित दूरस्थ/पत्राचार पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को बायोमैट्रिक उपस्थिति के प्रावधान से छूट होगी। साथ ही ऐसे विद्यार्थियों को केवल अप्रतिदेय शिक्षण शुल्क ही छात्रवृत्ति राशि के रूप में देय होगा, उन्हें अनुरक्षण एवं अन्य भत्ते देय नहीं होंगे। इस संबंध में छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किये जावेंगे।
- 5.15** छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत संस्थानों के भौतिक निरीक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स के प्रावधान लागू होंगे।
- 5.16** फीस रसीद में किसी भी प्रकार की कांट-छांट अथवा मेनिपुलेशन अथवा डुप्लिकेसी की रोकथाम के क्रम में यह प्रावधान किया जाता है कि विद्यार्थी द्वारा अपने छात्रवृत्ति आवेदन में संस्थान द्वारा मय सील प्रमाणित मूल फीस रसीद को अपलोड किया जावेगा तथा उस छात्रवृत्ति आवेदन के वेरिफिकेशन के दौरान संबंधित विद्यार्थी को जारी की गई फीस रसीद की कार्यालय प्रति भी संबंधित संस्थान के छात्रवृत्ति प्रभारी द्वारा अपलोड की जावेगी। साथ ही यह प्रावधान किया जाता है कि विद्यार्थी द्वारा अपलोड की गई फीस रसीद संबंधित संस्थान को पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होगी।
- 5.17** संस्थान द्वारा अज्ञेपित किये गये किसी भी छात्रवृत्ति आवेदन में यदि कोई मिथ्या डाटा/झूठी उद्घोषणा/ कूटरचित दस्तावेज/अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी/जालसाजी पाई जाती है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्था के संस्था प्रभारी एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उक्त कृत्य के लिये उनके विरुद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही (एफ.आई.आर.) की

Signature valid

Digitally signed by Sarmit Sharma
Designation: Secretary To
Government
Date: 2023.08.31 15:47:18 IST
Reason: Approved



जा सकेगी। उक्त संबंध में आवश्यक पॉप-अप छत्रवृत्ति आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के दौरान संस्थान के छत्रवृत्ति नोडल अधिकारी को प्रदर्शित किया जावेगा।

- 5.18** गंभीर अनियमितता बरतने वाली संस्थानों को जिलाधिकारी अथवा विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट एवं अभिशंषा के आधार पर विभागीय निर्णय उपरान्त छत्रवृत्ति पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट/होल्ड/पेमेन्ट होल्ड किया जा सकेगा।

6 जिला स्तर पर संस्थानों से प्राप्त ऑनलाईन छत्रवृत्ति आवेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया

Procedure to dispose the online applications received from institutes to District Office SJE

- 6.1** शिक्षण संस्थान जिस जिले में संचालित है उसमें अध्ययनरत विद्यार्थियों के छत्रवृत्ति आवेदनों की जांच, सत्यापन व स्वीकृति का क्षेत्राधिकार उसी जिले के विभागीय जिला स्तरीय अधिकारी का होगा।
- 6.2** किन्तु राज्य के बाहर संचालित शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत राजस्थान के मूल निवासी विद्यार्थियों के छत्रवृत्ति आवेदनों के मामलों में जांच, सत्यापन व स्वीकृति का क्षेत्राधिकार उस जिले के विभागीय जिलाधिकारी का होगा जिस जिले का विद्यार्थी मूल निवासी है।
- 6.3** शिक्षण संस्थानों से जांच एवं सत्यापन उपरान्त अनुशंसित होकर जिला कार्यालय को अशेषित आवेदन पत्रों की जांच एवं सत्यापन जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा अधिकृत स्थाई राजकीय कार्मिक (विरिफायर) द्वारा किया जायेगा।

Signature valid

Digitally signed by Sarmit Sharma
Designation: Secretary To
Government
Date: 2023.08.31 15:47:18 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4629092



- 6.4 छत्रवृत्ति योजनान्तर्गत आवेदनों की जांच हेतु अधिकृत वेरिफायर की एम्पलॉई आईडी को संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी की अनुशंषा के आधार पर निदेशालय सान्याअवि में पदस्थापित राज्य स्तरीय छत्रवृत्ति नोडल अधिकारी द्वारा पोर्टल पर मैप किया जावेगा।
- 6.5 वेरिफायर एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारी के स्तर पर आवेदन पत्रों की जांच, सत्यापन एवं स्वीकृति में पहले आओ, पहले पाओ का प्रावधान (**FIFO-FIRST IN FIRST OUT SYSTEM**) किया जाता है।
- 6.6 वेरिफायर द्वारा सत्यापित एवं अनुशंसित आवेदन स्वीकृतकर्ता अधिकारी को अग्रेषित होंगे। अतः वेरिफायर द्वारा सत्यापित छत्रवृत्ति आवेदनों में यदि कोई भी त्रुटि पायी जाती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी एवं उत्तरदायित्व वेरिफायर का होगा। उक्त कृत्य के लिये जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय समिति द्वारा दोषी पाये गये वेरिफायर के विरुद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं गंभीर प्रकरणों में विधिक कार्यवाही (एफ.आई.आर.) भी की जा सकेगी। उक्त के संबंध में पॉप-अप छत्रवृत्ति आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के दौरान वेरिफायर को पोर्टल पर प्रदर्शित किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
- 6.7 वेरिफायर द्वारा छत्रवृत्ति आवेदनों को गुण-दोष के आधार पर जांच उपरान्त आक्षेपित (बैंक टू स्टूडेंट)/सत्यापित/निरस्त किया जा सकेगा।
- 6.8 वेरिफायर से सत्यापित होकर प्राप्त होने वाले छत्रवृत्ति आवेदनों को जिला स्तरीय स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा आक्षेपित (बैंक टू स्टूडेंट)/स्वीकृत/निरस्त किया जा सकेगा।
- 6.9 छत्रवृत्ति आवेदनों में जिन तकनीकी समस्याओं का समाधान निदेशालय स्तर पर ही किया जाना संभव हो उन मामलों में संबंधित जिलाधिकारी द्वारा छत्रवृत्ति प्रकरण की जांच कर विद्यमान तकनीकी समस्या का पूर्ण उल्लेख करते हुए अपनी स्पष्ट अभिशंषा मय साक्ष्य दस्तावेज के साथ समाधान हेतु प्रकरण निदेशालय की छत्रवृत्ति प्रशाखा को भिजवाया जावेगा।

Signature valid

Digitally signed by Sarmit Sharma
Designation: Secretary To
Government
Date: 2023.08.31 15:47:18 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4629092



6.10 जनाधार में दिनांक 01.07.2022 के पश्चात यदि नाम, जन्म तिथि, जाति, मूल निवास जिला, आधार संख्या में यदि कोई परिवर्तन किया गया हो अथवा निम्नानुसार उल्लेखित अन्य प्रकरणों में छात्रवृत्ति पोर्टल द्वारा इन्हें संदिग्ध मानकर वेरिफायर की आई.डी. पर रैड फ्लैग किया जावेगा, जिन्हे गुण-दोष के आधार पर वेरिफायर द्वारा अनुशंसित/ निरस्त किया जा सकेगा।

A. छात्रवृत्ति हेतु किये गये आवेदन के वर्ष तथा अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण की अवधि में 3 वर्ष से अधिक का अन्तराल हो।

B. एक ही आवेदक का नाम एवं आधार एक जनाधार से पृथक करवाकर दूसरे जनाधार में जुड़वाये गये हों।

C. कोर्स ब्रेक/कोर्स दोहराव/प्रोफेशनल ट्रैक बदलने/समान स्तरीय पाठ्यक्रम में अध्ययन करने वाले प्रकरण।

6.11 सत्यापनकर्ता द्वारा स्वीकृतकर्ता को अग्रेषित करने के पश्चात आवेदन पत्र में अंकित विवरण में कोई भी परिवर्तन किया गया हो तो आवेदन रैड फ्लैग में प्रदर्शित होगा जिसे स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा गहन परीक्षण कर आवेदन के गुणावगुण के आधार पर स्वीकृत/निरस्त किया जावेगा। इस संबंध में छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किया जावे।

6.12 छात्रवृत्ति के 100 आवेदनों तक के इकजाई स्वीकृती एवं बिल जनरेट करते समय स्वीकृतकर्ता अधिकारी के आधार बेस्ड मोबाईल नं. पर ओटीपी का प्रावधान किया जाता है।

6.13 स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा स्वीकृत किये गये आवेदन पत्रों का उसके द्वारा अधिकृत सम्बन्धित कार्मिक द्वारा बिल बनाया जाकर योजनान्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया एवं बजट मद अनुसार भुगतान कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

7. निदेशालय स्तर पर क्रियान्वयन हेतु किये जाने वाले कार्य

Activities to be carries out at Directorate of SJE

Signature valid

Digitally signed by Sarmit Sharma
Designation: Secretary To
Government
Date: 2023.08.31 15:47:18 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4629092



- 7.1 छत्रवृत्ति पोर्टल पर संचालित समस्त प्रक्रियाओं का पर्यवेक्षण करवाया जावेगा।
- 7.2 विश्वविद्यालयों, राज्य से बाहर संचालित संस्थानों एवं जिला कार्यालयों से प्राप्त एसएसओ आई डी की छत्रवृत्ति पोर्टल पर मैपिंग एवं परिवर्तन किया जाना। उक्त संबंध में प्रमाणित दस्तावेजों को मैपिंग के दौरान पोर्टल पर अपलोड किये जाने का प्रावधान किया जाता है।
- 7.3 छत्रवृत्ति पोर्टल पर नवीन पाठ्यक्रम जोड़ना, उनमें देय छत्रवृत्ति की अधिकतम राशि का निर्धारण व यथासमय संशोधन करवाना।
- 7.4 विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्थानों/विद्यार्थियों के आवेदन को छत्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड/अनहोल्ड/पेमेंट होल्ड/पेमेंट अनहोल्ड/डि-एफिलियेट/रि-एफिलियेट डिबार/ब्लैक लिस्ट करवाना।
- 7.5 छत्रवृत्ति योजनान्तर्गत जारी गाइडलाइन्स के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करवाना।
- 7.6 विद्यार्थियों के आवेदनों गुणावगुण के आधार पर संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी की अभिशंषानुसार सक्षम स्तर से निर्णय उपरांत रिस्टोर /रिवर्ट करवाना।

**8. प्रक्रिया सरलीकरण एवं सुरक्षात्मक उपाय हेतु तकनीकी प्रावधान
IT enablers/safety measures for simplification and security**

- 8.1 छत्रवृत्ति आवेदन करने से लेकर किसी भी स्तर से छत्रवृत्ति आवेदन में किये गये किसी भी परिवर्तन (बदलाव से पूर्व एवं बदलाव के पश्चात) की गतिविधियों का समयवार विवरण की समस्त ऑडिट ट्रेल आवेदन में प्रदर्शित होगी।
- 8.2 छत्रवृत्ति आवेदन के समस्त डाटा एवं पोर्टल पर ऑपरेट होने वाली प्रत्येक गतिविधि का आई.पी. एड्रेस सहित अन्य सभी महत्वपूर्ण विवरण का समस्त सर्विस लॉग अनिवार्य रूप से संधारित किया जावेगा, ताकि किसी भी

Signature valid

Digitally signed by Sarmit Sharma
Designation: Secretary To
Government
Date: 2023.08.31 15:47:18 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4629092



साईबर फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट किया जाकर दोषियों को चिन्हित किया जा सके।

- 8.3 आवेदन में की गई कार्यवाही एवं आवेदन में किये गये डेटा चेंज की चैन तथा ऑडिट ट्रेल को पृथक-पृथक रूप से प्रदर्शित किया जावेगा।
- 8.4 छात्रवृत्ति आवेदन की ऑडिट ट्रेल में से SSOID की मास्किंग हटाकर पूरी SSOID प्रदर्शित की जावेगी।
- 8.5 निस्तारित हो चुके आवेदनों को पुनः भुगतान की प्रक्रिया में लाने के अवैध प्रयासों की रोकथाम एवं डाटा प्राइवैसी को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षात्मक उपाय के रूप में छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रत्येक डाटा आवश्यक रूप से एण्ड टू एण्ड एनक्रिप्टेड होगा।
- 8.6 छात्रवृत्ति पोर्टल में डेटा सिक्योरिटी हेतु सम्पूर्ण डेटा का एण्ड टू एण्ड एनक्रिप्शन अनिवार्य रूप से किया जावेगा, ताकि कोई भी डेटा टैपिंग एवं हैकिंग की संभावना नहीं रहे।
- 8.7 छात्रवृत्ति पोर्टल को सभी सिक्योरिटी चैक लगाये जाएंगे जिससे किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा पोर्टल को हैक नहीं किया जा सके अथवा पोर्टल की खामियों का फायदा उठाकर छात्रवृत्ति अनियमितता करने वाले अवैध प्रयासों पर अंकुश लगाया जा सके।
- 8.8 प्रत्येक वर्ष पोर्टल की अनिवार्य रूप से सिक्योरिटी ऑडिट करवाकर इसका प्रतिवेदन विभागाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- 8.9 भारत सरकार द्वारा जारी उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना की गाइडलाइन्स में प्रोफेशनल कोर्स का ट्रेक बदलने वाले प्रकरणों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमवार ग्रुप बनाकर छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऐसा प्रावधान किया जावेगा ताकि इन प्रकरणों में अपात्र विद्यार्थी द्वारा कोई आवेदन पोर्टल पर भरा ही नहीं जा सके।
- 8.10 छात्रवृत्ति पोर्टल पर संस्थाओं का पंजीयन के समय राजकीय एवं निजी होने की सुनिश्चितता की जाएगी।

Signature valid

Digitally signed by Sarmit Sharma
Designation: Secretary To
Government
Date: 2023.08.31 15:47:18 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4629092



- 8.1.1 जिन विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदनों में भुगतान रिजेक्ट हो गया हो उन्हें पाक्षिक रूप से अलर्ट मैसेज भिजवाया जावेगा ताकि संबंधित विद्यार्थी द्वारा जिला कार्यालय में जाकर निर्धारित समयावधि के भीतर बैंक खाता अपडेट करवा कर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त की जा सके।
- 8.1.2 संदिग्ध आवेदनों के संबंध में आई.टी. प्रशाखा प्रभारी द्वारा रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट (R&D) कर प्रस्तावित सुधारात्मक उपाय के साथ अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट छात्रवृत्ति प्रशाखा प्रभारी को ई-फाइल के माध्यम से तत्काल भिजवाई जावेगी जिससे ऐसे प्रकरणों की भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए सक्षम स्तर से प्रशासनिक निर्णय लिया जाकर छात्रवृत्ति पोर्टल में अपेक्षित सुधार करवाया जावेगा।
- 8.1.3 छात्रवृत्ति राशि के डीबीटी की रिवर्स सीडींग छात्रवृत्ति एवं जनाधार पोर्टल पर अनिवार्य रूप से की जावेगी।
- 8.1.4 इस प्रक्रिया की व्याख्या निदेशक/आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जा सकेगी एवं इनमें कोई भी परिवर्तन/संशोधन राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है।

(डॉ. समित शर्मा)
शासन सचिव

क्रमांक: एफ9(4)छात्रवृत्ति/मार्गदर्शन/सान्याअवि/22-23/00003/6671-84 जयपुर,दिनांक: 31.08.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग / स्कूल शिक्षा विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग / मेडिकल शिक्षा विभाग/ जनजाति क्षेत्रीय विकास / कृषि / श्रम विभाग शासन सचिवालय, जयपुर आदि को अपने से सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं सम्बन्धित संस्थानों को सर्कुलेट कर क्रियान्वयन कराने हेतु।
4. जिला कलक्टर समस्त
5. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक (पि.जा.)/ देवनारायण योजना, मुख्यावास।
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक)आई.टी., मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार छात्रवृत्ति मानक संचालन प्रक्रिया को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड

Signature valid

Digitally signed by Samit Sharma
Designation: Secretary To
Government
Date: 2023.08.31 15:47:18 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4629092



करवाये जाने के साथ-साथ छात्रवृत्ति मानक संचालन प्रक्रिया में उल्लेखित समस्त प्रावधानों की छात्रवृत्ति पोर्टल पर पालना सुनिश्चित करें।

8. वित्तीय सलाहकार/ सहायक निदेशक (प्रचार-प्रसार)/ सहायक निदेशक (शिक्षा)/जिला परीवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी(छात्रवृत्ति) मुख्यावास।
9. संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक/ जिला परीवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को पालनार्थ
10. समस्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल/शिक्षण संस्थानों को पालनार्थ।
11. आदेश पत्रावली।



छात्रवृत्ति पोर्टल का लिंक



छात्रवृत्ति मोबाईल एप का लिंक

RajKaj Ref No. : 4629092

Signature valid

Digitally signed by Sanjit Sharma
Designation: Secretary To
Government
Date: 2023.08.31 15:47:18 IST
Reason: Approved

